न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर जिला जयपुर

अपील संख्याः 212/2023 GCMS No.—2022/108

कन्हैयालाल उर्फ कानाराम पुत्र पांचूनाथ जाति जोगी निवासी मानगढ खोखावाला तहसील बस्सी जिला जयपुर बहैसियत मुख्त्यारआम नानगराम जोगी पुत्र श्री कन्हैयालाल उर्फ कानाराम जाति जोगी निवासी मानगढ खोखावाला, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

...अपीलांट

बनाम

1. हनुमान पुत्र पांचूनाथ जाति जोगी निवासी मानगढ खोखावाला तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
2. चन्दा पुत्र पांचूनाथ जाति जोगी निवासी मानगढ खोखावाला तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
3. गणपत पुत्र पांचूनाथ जाति जोगी (फौत)
   3(1) गोपाली देवी पत्नी गणपत
   3(2) रामप्रसाद पुत्र गणपत (फौत)
   3(2)(1) मंजू देवी पत्नी रामप्रसाद
   3(2)(2) रोशन पुत्र रामप्रसाद
   3(2)(3) महेन्द्र पुत्र रामप्रसाद
   3(3) पप्पू पुत्र गणपत समस्त जाति जोगी निवासी मानगढ खोखावाला तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
   3(4) बीना पुत्री गणपत पत्नी जितेन्द्र जाति जोगी निवासी ग्राम वाटिका, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
4. सुधा सोनी पत्नी बसंत सोनी जाति सोनी सुनार निवासी 971 नानाजी की गली गोपाल जी का रास्ता जयपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी, जिला जयपुर।

.....रेस्पाडेन्टस

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध बाबत आपसी सहमति का बंटवारा दिनांक 09.11.2021 तहसीलदार बस्सी जिला जयपुर स्वीकृत किया गया।

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर सत्यमेव जयते

उपस्थितः–

1. श्री गौरीशंकर शर्मा अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से।
2. श्री भवानी सिंह, शैलेन्द्र सिंह अधिवक्ता रेस्पा0 संख्या 2 की ओर से।
3. श्री राजकुमार शर्मा रेस्पा0 संख्या 1 एवं 4 की ओर से।
4. श्री सुभाष शर्मा रेस्पा0 संख्या 3/1 लगायत 3/4 की ओर से।

निर्णय दिनांकः 19.03.2025

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार, बस्सी के निर्णय दिनांक 09.11.2021 जिससे ग्राम मानगढ खोखावाला, तहसील बस्सी स्थित भूमि खसरा नंबर 319/55 रकबा 1.2645 हैक्टैयर के तकासमा आदेश किये गये से असंतुष्ट होकर दिनांक 15.07.2022 को न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है। अपील अपीलांट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस रेस्पाडेन्टस जारी करने तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल तकासमा पत्रावली तलब करने के आदेश दिये गये। रेस्पाडेन्ट संख्या 1 एवं 4 की ओर से अधिवक्ता श्री राजकुमार शर्मा उपस्थित आये। रेस्पाडेन्ट संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री शैलेन्द सिंह उपस्थित आये। रेस्पा0 संख्या 3/1 लगायत 3/4 की ओर से अधिवक्ता श्री सुभाष शर्मा उपस्थित आये। रेस्पाडेन्ट संख्या– 5 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। पत्रावली पर बहस उपस्थित अभिभाषक उभय पक्ष व पैरोकार सरकार सुनी गई।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलांट्स एवं रेस्पाडेन्ट्स ग्राम मानगढ खोखावाला, तहसील बस्सी स्थित अपीलाधीन भूमि के रिकार्डेड

खातेदार काश्तकार है। अपीलांट एवं रेस्पा0 संख्या 1 लगायत 3 द्वारा मौके पर कब्जे अनुसार भूमि का आपसी सहमति के अनुसार विभाजन करने का निर्णय लिया एवं उक्त विभाजन पत्र दिनांक 08.11.2021 को अपीलांट व रेस्पा0 संख्या 1 लगायत 3 द्वारा विभाजन पत्र तैयार कर तहसीलदार बस्सी को मय आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि भूमि का आपसी सहमति के आधार पर विभाजन कर दिया जावें। तत्पश्चात रेस्पा0 संख्या 3 द्वारा अपने हिस्से 1/4 में से 1/2 हिस्सा रेस्पाडेन्ट संख्या 4 को विकय कर दिया। रेस्पा0 संख्या 1 लगायत 3 द्वारा मौके पर बिना नाप जोख कराये केवल आपसी सहमति के आधार पर रंग भरकर तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। जिसे तहसीलदार द्वारा मौके पर बिना जांच किये उसको स्वीकृत कर दिया। राजस्व कर्मचारियों द्वारा विभाजन पत्र के पश्चात खाता अलग कायम करते समय अपीलांट के हिससे में आई भूमि का रकबा तो जमाबन्दी में सही दर्ज कर दिया परन्तु राजस्व नक्शा तैयार करते समय अपीलांट का नक्शा छोटा कर अपीलांट की भूमि को रेस्पा0 के भूमि में मिलाकर रेस्पा0 का नक्शा रकबे से ज्यादा बडा कर दिया। जिससे अपीलांट के मकान की कच्ची दीवार व बोरिंग रेस्पा0 के कब्जे में चले गये। ऐसी स्थिति में आपसी सहमति का विभाजन विधि विधान के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट कम पढा लिखा व्यक्ति है जो केवल मात्र हस्ताक्षर करना जानता है जिसका नाजायज फायदा उठाते हुये रेस्पा0 संख्या 1 लगायत 3 ने राजस्व कर्मचारियो से मिलीभगत कर अपीलांट की भूमि नक्शे में कम दर्ज करवाकर स्वयं के नक्शे में दर्ज करवा ली इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है। रेस्पा0 संख्या 2 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी में धारा 136 का दावा प्रस्तुत कर नक्शा दुरूस्ती करवा ली गयी जिसमें अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया गया। रेस्पा0 संख्या 4 द्वारा भूमि कय करने के पश्चात अपीलांट की भूमि में प्रवेश कर पत्थर आदि डालने का प्रयास किया जिस पर अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुयी। अपीलांट ने दिनांक 21.06.2022 को अपीलाधीन आदेश की नकल प्राप्त कर माननीय न्यायालय में अविलम्ब अपील पेश की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बस्सी का तकासमा आदेश दिनांक 09.11.2021 निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पा0 संख्या 1 लगायत 4 ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तकासमा आदेश नियमानुसार ही पारित किया है। विभाजन पत्र पर अपीलांट की अंगूठा निशानी है एवं अपीलांट ने विभाजन पत्र पर सहमति प्रदान की है। रेस्पा0 संख्या 4 द्वारा जरिये रजि0 विकय पत्र खसरा नंबर 455/452 रकबा 0.158 है0 भूमि कय की है जिसका नामान्तकरण तस्दीक हो चुका है एवं रेस्पा0 संख्या 4 राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार दर्ज है। अपीलांट द्वारा गलत तथ्य पेश कर अपील पेश की है अपील चलने योग्य नहीं होने से खारिज की जावे।

अधिवक्ता रेस्पा0 संख्या 2 द्वारा कथन किया गया कि अपीलाधीन तकासमा आदेश की पत्रावली में प्रस्तुत नजरी नक्शे में तथा वर्तमान में अपीलाधीन भूमि के नक्शें में भिन्नता है। अपीलाधीन तकासमा आदेश मौके एवं कब्जे अनुसार नहीं किया गया है। अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अपीलाधीन तकासमा आदेश तहसीलदार बस्सी द्वारा नियमानुसार न्यायिक प्रकिया अपनाते हुए शुल्क जमा कर आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है। अपील खारिज किये जाने योग्य है।

हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष एवं पैरोकार सरकार की बहस पर ध्यानपूर्वक गौर किया तथा पत्रावली का मय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स का मुख्य कथन है कि अपीलांट के हिस्से में बने हुए बोरिंग, दीवार आदि रेस्पा0 के हिस्से मे आ जाने से अपीलाधीन तकासमा आदेश निरस्त किया जावे। परन्तु अपीलांट द्वारा अपने कथनो के समर्थन में ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया जिससे जाहिर हो कि अपीलांट के हिस्से की भूमि एवं बोरिंग, दीवार आदि तकासमा आदेश के उपरान्त रेस्पाडेन्ट्स के हिस्से में चले गये। अपीलांट द्वारा न्यायालय के समक्ष पैमाईश/सीमा ज्ञान संबंधी कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। सीमा ज्ञान/पैमाईश के संबंध में पक्षकारान सक्षम स्तर पर आवेदन कर सकते है। अपीलाधीन भूमि के संबंध में रेस्पा0 संख्या 2 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131, 136 बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी द्वारा तरमीम को सहमति के आधार पर हुए विभाजन के अनुसार शुद्व किये जाने के संबंध में दिनांक 23.06.2022 को आदेश पारित किये गये है। उक्त तरमीम शुद्वि के आदेश से असंतुष्ट होने पर उभय पक्षकारान सक्षम स्तर पर चाराजोई करने हेतु स्वतंत्र है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलांट व रेस्पाडेन्ट के मध्य मौके पर कब्जे की स्थिति के आधार पर तकासमा किये जाने हेतु पक्षकारान द्वारा सहमति प्रस्तुत की गयी थी, एवं अपीलांट के तकासमा आवेदन, विभाजन पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर है। जिसके आधार पर तहसीलदार बस्सी द्वारा राजस्थान काश्तकारी की अधिनियम की धारा 53 (2) (1) अनुसार खातेदार काश्तकारो की सहमति के आधार पर तकासमा आदेश दिनांक 09.11.2021 को पारित किया गया, जिसमें कोई त्रुटि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया जाना जाहिर होता है। अपीलांट द्वारा अपील में अंकित तथ्य उचित प्रतीत नहीं होते है, इसलिए अपीलाधीन तकासमा को निरस्त किये जाने या उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन किये जाना उचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.03.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विनिता सिंह)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर